फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद

पत्रांक 16/2011 /वि0प्रा0/(मा0नि0)/13-14 दिनॉक : 31.7.2013

अनुज्ञा पत्र

मै0 केशव माधव इन्फ्रा डवलपर्स प्रा0लि0 डायरेक्टर श्री विकास बंसल पुत्र श्री जयशिव बंसल निवासी–बाग छिंगामल, फिरोजाबाद आपका आवेदन पत्र दिनांक – मानचित्र सं0 16/2012 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय ग्रुप हाउसिंग मानचित्र को मौजा ढ़ोलपुरा फिरोजाबाद के खसरा नं0 124 (अंश) पर निम्नलिखित शर्तों के साथ उ0प्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है। (स्वीकृत मानचित्र संलग्न है)

01 यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पॉच वर्ष तक वैध है, इसके पश्चात नवीनीकरण कराना होगा।

02 मानचित्र अनुमति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

03 जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–26 के अधीन दण्डनीय है। यदि भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

04 उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मॉगा जायेगा, तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।

05 जो क्षेत्र/भूमि विकास कार्य के लिये उपयुक्त नहीं होगा, वहॉ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।

06 स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा, ताकि मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।

07 आप भवन उप–नियमों के नियम–21 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।

08 निर्माण की अवधि में स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है, तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद परिवर्तन किया जायेगा।

09 निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

10 प्राधिकरण से भवन पूर्णता प्रमाण प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूयपायी) करेंगे।

11 भू–खण्डनीय क्षेत्रफल 300 वर्गमी से अधिक होने पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग/ग्राउन्ड रिचार्जिंग का कार्य निर्माण अनिवार्य रूप से कराना होगा।

12 अपने भूखण्ड के परिसर में कम से कम **30** पेड़ लगाने होंगे।

13 उपरोक्त शर्तों के उल्लघंन करने पर, कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत कराने पर मानचित्र निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

All Form/Augya Patr